न्यायालय, भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, पटना सदर।

दाखिल–खारिज अपील वाद सं0–03 / 2020–21
सुनीता प्रसाद बनाम राजनंदन प्रसाद
दाखिल–खारिज अपील वाद सं0–04 / 2020–21
राजनंदन प्रसाद बनाम सुनिता प्रसाद वगैरह
(U/s 7 of Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम सं0 एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित।

प्रस्तुत दाखिल खारिज अपीलवाद सं0–03 / 2020–21 अपीलार्थी सुनीता प्रसाद, पति स्व0 रविनंदन प्रसाद, निवासी–शिवशक्ति, एस0पी0 वर्मा रोड, थाना–गांधी मैदान, जिला–पटना के द्वारा अंचलाधिकारी, पटना सदर के दाखिल खारिज वाद सं0–3352 / R-27 / 2019–20 में दिनांक–13.08.2019 को पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर दायर किया गया है। जिसमें उत्तरवादी के रूप में (1) अंचल अधिकारी, पटना सदर (2) राजनदंन प्रसाद, पिता–स्व0 डॉ0 स्वामीनंदन प्रसाद, निवासी–शिवशक्ति, एस0पी0 वर्मा रोड, थाना–गांधी मैदान, जिला–पटना हैं एवं

दाखिल खारिज अपील वाद सं0–04 / 2020–21 अपीलार्थी राजनदंन प्रसाद, पिता– स्व0 डॉ0 स्वामीनंदन प्रसाद, निवासी–शिवशक्ति, एस0पी0 वर्मा रोड, थाना–गांधी मैदान, जिला–पटना के द्वारा अंचलाधिकारी, पटना सदर के दाखिल खारिज वाद सं0–3350 / R-27 / 2019–20 में दिनांक–13.08.2019 को पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर दायर किया गया है। जिसमें उत्तरवादी के रूप में (1) अंचल अधिकारी, पटना सदर (2) सुनीता प्रसाद, पति स्व0 रविनंदन प्रसाद, निवासी–शिवशक्ति, एस0पी0 वर्मा रोड, थाना–गांधी मैदान, जिला–पटना है।

मौजा / थाना	खाता सं0	खेसरा नं0	रकबा
1	3	4	5
खाजपुरा / 11	126 138	1036 1401	75.9375 डी0

उपरोक्त दोनों दाखिल खारिज अपीलवाद को प्रतिग्रहण के बिन्दु पर उनके विद्वान अधिवक्ता को सुनने के उपरान्त प्रतिग्रहित किया गया। तदोपरान्त उत्तरवादीगण को नोटिस निर्गत करते हुए अंचल कार्यालय से निम्न न्यायालय अभिलेख (एल0सी0आर0) की मांग की गई।

उपरोक्त दोनों अपील वाद के पक्षकार राजनंदन प्रसाद एवं सुनीता प्रसाद की ओर से समान तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर उभय दाखिल खारिज अपील सं0 03 / 2020–21 एवं 04 / 2020–21 में एक साथ सुनवाई कर वाद निष्पादित करने हेतु निवेदन किया गया। न्यायहित में दोनों अपील वाद की सुनवाई एक साथ आरंभ की गई।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा निम्न न्यायालय अभिलेख की प्रत्याशा में अपील वाद की सुनवाई आरम्भ करने का अनुरोध किया गया तदनुसार सुनवाई पक्षकारों के निवेदन पर प्रारम्भ हुई।

अपीलार्थी सुनीता प्रसाद का दावा है कि उनके पति स्व0 रविनदंन प्रसाद के द्वारा अपने भाई श्री राजनंदन प्रसाद के साथ मौजा–खाजपुरा स्थित खाता सं0 126

के खेसरा सं0 1036 तथा खाता नं0 138 के खेसरा नं0 1401 का कुल रकबा 24 कठ्ठा 04 धुर समतुल्य 75.9375 डी0 भूमि की खरीद किया गया। उक्त भूमि की संयुक्त जमाबंदी अपीलार्थी के पति स्व0 रविनंदन एवं राजनंदन प्रसाद के नाम से बिहार सरकार के राजस्व अभिलेखों में जमाबंदी सं0 3699/1 पर कायम हुई।

अपीलार्थी सुनीता प्रसाद का यह भी कथन है कि अचानक उनके पति रवि नंदन प्रसाद का दिनांक–31.07.2018 को निधन हो गया तथा पति के निधन के पश्चात् आपस में सहमति से उपरोक्त वर्णित जायदाद में पति के भाई राजनंदन प्रसाद एवं उनके बीच बंटवारा हो गया तथा दोनों अपने–अपने हिस्से पर शांतिपूर्ण दखल–कब्जा में आ गये। दोनों पक्षों को उपरोक्त खाता, खेसरा में आधा–आधा हिस्सा रकबा 12 कठ्ठा 02 धुर मिला। बंटवारा के पश्चात् दोनों आवेदक सुनीता प्रसाद एवं राजनंदन प्रसाद ने अपने–अपने हिस्से की भूमि के नामांतरण हेतु निम्न न्यायालय में आवेदन दिया, जिसमें वाद सं0 3352/R-27/2019–20 एवं 3350/R-27/2019–20 दर्ज हुआ। परन्तु बाद में दोनों अपीलार्थी को ज्ञात हुआ कि जमीन की पूर्ण विवरणी (खाता–खेसरावार रकबा) आन–लाईन आवेदन में दर्शाना छुट गया है। तब उनके द्वारा अंचल कार्यालय जाकर आवेदन में हुई त्रुटि को सुधार करने हेतु सम्पर्क किया गया, परन्तु आवेदन कर्मचारी को जांच एवं प्रतिवेदन हेतु अग्रसारित हो चुका था एवं तद्नुसार दोनों आवेदनो पर कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदन भी समर्पित किया गया। इस बाबत अंचलाधिकारी द्वारा अपीलार्थीगण की मांगों के निश्वत मंतव्य हेतु पत्र सं0 22 दिनांक–10.01.2020 अपर समाहर्ता, पटना को निर्गत किया गया। पुनः अपर समाहर्ता, पटना के द्वारा अंचलाधिकारी, पटना सदर को विभागीय पत्र सं0 756 दिनांक–28.10.2019 का हवाला देते हुए पत्र दिनांक–04.03.2020 भेजा गया। उक्त पत्र में दिये गये दिशा–निर्देशों के आलोक में सक्षम प्राधिकार (भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के न्यायालय में) के समक्ष अपीलार्थीगण द्वारा उभय अपील वाद प्रस्तुत किया गया। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपीलार्थीगण के द्वारा अनुरोध किया गया है कि ऑनलाईन अभिलेख वो राजस्व रसीद में सुधार करते हुए खाता सं0 126 के खेसरा सं0 1036 तथा खाता नं0 138 के खेसरा सं0 1401 का रकबा 12.03 कठ्ठा समतुल्य 37.968975 डी0 जोड़ा जाय।

उभय उतरवादीगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता का दावा एवं कथन है कि दोनों अपीलवाद समान तथ्यों एव परिस्थितियों पर आधारित है। आवेदन एवं अंचलाधिकारी, पटना सदर द्वारा पारित आदेश में त्रुटि भी एक समान है। अतः सुधार किये जाने का आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया।

उभय अपील वादों की सुनवाई के क्रम में अपीलीय भूमि पर पक्षकारों के दखल–कब्जा के निश्वत अंचलाधिकारी, पटना सदर से प्रतिवेदन की मांग की गई। तदोपरांत नजरी नक्सा के साथ अंचलाधिकारी, पटना सदर द्वारा जांच प्रतिवेदन पत्र सं0 3766 दिनांक–09.09.2020 के द्वारा समर्पित किया गया। प्रतिवेदन अस्पष्ट रहने के कारण से पुनः उभय पक्षकारों का खेसरा वार दखल–कब्जा का अद्यतन प्रतिवेदन पत्र सं0 1040 दिनांक–10.12.2020 के द्वारा मांगा गया। तदोपरान्त अंचल अमीन के द्वारा ट्रैस मैप के साथ दिनांक–19.12.2020 के प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जिसके अनुसार विवरण निम्नवत् है :–

मौजा/ थाना नं0	खाता सं0	खेसरा नं0	रकबा	चौहद्दी
1	2	3	4	5
खाजपुरा/	126	1036	10 कठ्ठा	उतर–बेली रोड

11	138	1401	14 कठ्ठा 4 धुर	दक्षिण—चन्दन अपार्टमेंट पूरब—शिव मंदिर एवं नर्गिस अपार्टमेंट पश्चिम—सड़क

पैमाईश के अनुसार पक्षकारों का खेसरा नं0 1036 का रकबा 10 कठ्ठा एवं खेसरा सं0 1401 कर रकबा 14 कठ्ठा 4 धुर पर दखल—कब्जा है। उक्त प्रतिवेदन समर्पित करने के उपरान्त अपीलार्थी सुनीता प्रसाद एवं राजनंदन प्रसाद की ओर से स्वलिखित आवेदन देकर खेसरा सं0 1036 में रकबा 5 कठ्ठा एवं खेसरा सं0 1401 में रकबा 7 कठ्ठा 2 धुर का दोनों के पक्ष में बराबर—बराबर का रसीद निर्गत करने का निवेदन किया गया है।

अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों एवं उभय पक्ष के दावों के परिशीलन से स्पष्ट है कि खाता सं0 126 का खेसरा सं0 1036 एवं खाता सं0 138 का खेसरा सं0 1041 का कुल रकबा क्रमशः 10 कठ्ठा एवं 14 कठ्ठा 4 धुर में दोनों आधे—आधे के हिस्सेदार है तथा दोनों अपीलवाद के अपीलार्थी एवं उत्तरवादी के द्वारा एक दूसरे के नामांतरण पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि दोनों पक्ष अंचल अमीन द्वारा समर्पित ट्रेस मैप के साथ प्रस्तुत प्रतिवेदन पर कोई आपत्ति न प्रकट कर आधे—आधे रकबे पर नामांतरण पर सहमति जाहिर की है। उभय अपीलार्थी के द्वारा लिपिकीय टंकण भूल के कारण दाखिल खारिज आवेदन के ऑन लाईन करने के क्रम में उपरोक्त दोनों खाता का खेसरावार विवरण नहीं दिया जा सका था, जिसके कारण दाखिल खारिज आवेदन की स्वीकृति के आदेश में मात्र खाता सं0 138 खेसरा सं0 1036 समान रकबा जिक्र आ सका। किन्तु खाता नं0 126 का खेसरा नं0 1036 एवं खाता नं0 138 का खेसरा नं0 1401 का अलग—अलग कुल रकबा क्रमशः 10 कठ्ठा एवं 14 कठ्ठा 4 धुर होना चाहिए था।

उल्लेखनीय है कि नामान्तरण की प्रक्रिया से ना तो किसी के पक्ष में स्वत्व अधिकार का निर्धारण/सृजन होता है और ना हीं किसी के स्वत्व अधिकार का विलोपन होता है। यह तो मात्र विधिक कागजातों के आधार पर भौतिक दखलकार से भू—लगान वसूली की प्रक्रिया मात्र है।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के अवलोकनोपरान्त तथा नैसर्गिक न्याय वो अचल अमीन द्वारा ट्रेस मैप सहित समर्पित प्रतिवेदन के आलोक में उभय निम्न न्यायालय दाखिल खारिज आदेश में वांछित संशोधन स्वीकृत किया जाता है। अंचलाधिकारी, पटना सदर को निदेश दिया जाता है कि वह बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 वो नियमावली 2012 के प्रावधानों के अनुरूप युक्तियुक्त आदेश पारित करेगें। इसी निष्पति के साथ प्रश्नगत उभय अपील वाद की अग्रेतर कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रतिलिपि अनुपालनार्थ अंचलाधिकारी, पटना सदर को भेजें। आदेश से पक्षकारों को अवगत करा दें। पारित आदेश से बिक्षुब्ध पक्षकार सक्षम पुनरीक्षण न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र होगें। अभिलेख नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित।

07/01/21

भूमि सुधार उप—समाहर्त्ता,
पटना सदर।

07/01/21

भूमि सुधार उप—समाहर्त्ता,
पटना सदर।

बिहार भूमि

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,बिहार सरकार

प्रपत्र-XIV ख
(देखें नियम-10)
लगान रसीद

ऑनलाइन
Running Unique No.: 28082021121755241097
(Receipt No.)

जिला:- Patna	अंचल:- Patna Sadar
हल्का:- Nutan Rajdhani-2 .	मौजा :- खाजपुरा
जमाबंदी सं0:- भाग वर्तमान:- 50 पृष्ठ संख्या:- 43	मौजा/थाना सं0 - 8/11
जमाबंदी रैयत का नाम:- श्री राजनन्दन प्रसाद अभिभावक का नाम:- स्व० डॉ० स्वामी नन्दन प्रसाद	पता:- निवासी - शिव शक्ति एस ० पी ० वर्मा रोड , पोस्ट - जी ० पी ० ओ ० ,थाना - गाँधी मैदान

खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा डिसमिल
126, 138	1036, 1401	0 एकड़ 37.8125 डिसमील 0 हेक्टर

सालाना मांग(बकाया और वर्तमान) चालू वित्तीय वर्ष का

वित्तीय वर्ष	सालाना दर	बकाया	वर्तमान	सूद	कुल	अभियुक्ति(बकाया का वर्ष कब से कब तक)
जमाबंदी लगान	30.00	30.00	30.00	0.00	60.00	2020-2021 से 2021-2022
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	43.50	43.50	43.50	0.00	90.00	2020-2021 से 2021-2022
कुल	73.50	73.50	73.50	0.00	150.00	2020-2021 से 2021-2022

वसूली

वित्तीय वर्ष	बकाया के विरुद्ध वसूली	वर्तमान मांग के विरुद्ध कुल वसूली	कुल वसूली	अवशेष राशि(बकाया का वर्ष कब से कब तक)	अभियुक्ति
लगान	30.00	30.00	60.00	2020-2021 से 2021-2022	
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	43.50	43.50	90.00	2020-2021 से 2021-2022	
कुल	73.50	73.50	150.00	2020-2021 से 2021-2022	

कुल बकाया-150.00
वसूल की गयी राशि शब्दों में- One Hundred Fifty Rupees

तिथि- 28-08-2021

यह एक कम्प्युटर जनित प्रति है।
यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
इसका उपयोग किसी भी न्यायलय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।

Without Prejudice

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,बिहार सरकार

बिहार भूमि

प्रपत्र-XIV ख

(देखें नियम-10)

लगान रसीद

ऑनलाइन
Running Unique No.: 12072210253364958912
(Receipt No.)

जिला:- **Patna**	अंचल:- **Patna Sadar**
हल्का:- **Nutan Rajdhani-2**	मौजा :- **खाजपुरा**
जमाबंदी सं0:- भाग वर्तमान:- **50** पृष्ठ संख्या:- **43**	मौजा/थाना सं0:- **8/11**
जमाबंदी रेयत का नाम:- **श्री राजनन्दन प्रसाद** अभिभावक का नाम:- **स्व० डॉ० स्वामी नन्दन प्रसाद**	पता:- **निवासी - शिव शक्ति एस ० पी ० वर्मा रोड , पोस्ट - जी ० पी ० ओ ० ,थाना - गाँधी मैदान**

खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा/डिसमिल
126, 138	1036, 1401	0 एकड़ 34.2187 डिसमील 0 हेक्टर

सालाना मांग(बकाया और वर्तमान) चालू वितीय वर्ष का

वितीय वर्ष	सालाना दर	बकाया	वर्तमान	सूद	कुल	अभियुक्ति(बकाया का वर्ष कब से कब तक)
जमाबंदी लगान	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	2022-2023 से 2022-2023
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	43.50	0.00	43.50	0.00	50.00	2022-2023 से 2022-2023
कुल	73.50	0.00	73.50	0.00	80.00	2022-2023 से 2022-2023

वसूली

वितीय वर्ष	बकाया के विरुद्ध वसूली	वर्तमान मांग के विरुद्ध कुल वसूली	कुल वसूली	अवशेष राशि(बकाया का वर्ष कब से कब तक)	अभियुक्ति
लगान	0.00	30.00	30.00	2022-2023 से 2022-2023	
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	0.00	43.50	50.00	2022-2023 से 2022-2023	
कुल	0.00	73.50	80.00	2022-2023 से 2022-2023	

कुल बकाया-80.00

वसूल की गयी राशि शब्दों में- Eighty Rupees तिथि- **12-07-2022**

यह एक कम्पयुटर जनित प्रति है।
किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।

Without Prejudice

प्रपत्र XII (Receipt No.)

(देखें नियम-10)

भूमि

लगान रसीद

..- Patna	अंचल:- Patna Sadar
...:- Nutan Rajdhani-2	मौजा :- खाजपुरा
...बंदी सं0:-	मौजा/थाना सं0:- 8/11
... वर्तमान:- 50	
... संख्या:- 44	पता:- निवासी - शिव जिला - पटना शक्ति एस ० पी ० वर्मा रोड , पोस्ट - जी ० पी० ओ० , थाना - गाँधी मैदान ,
...माबंदी रैयत का नाम:- श्रीमती सुनीता प्रसाद	
...भिभावक का नाम:- स्व० रविनन्दन प्रसाद	

खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा/डिसमिल
126 , 138	1036, 1401	0 एकड़ 37.8125 डिसमील 0 हेक्टर

	सालाना मांग(बकाया और वर्तमान) चालू वितीय वर्ष का					
वितीय वर्ष	सालाना दर	बकाया	वर्तमान	सूद	कुल	अभियुक्ति(बकाया का वर्ष कब से कब तक)
जमाबंदी लगान	30.00	30.00	30.00	0.00	60.00	2020-2021 से 2021-2022
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	43.50	43.50	43.50	0.00	90.00	2020-2021 से 2021-2022
कुल	73.50	73.50	73.50	0.00	150.00	2020-2021 से 2021-2022

वसूली

वितीय वर्ष	बकाया के विरुद्ध वसूली	वर्तमान मांग के विरुद्ध कुल वसूली	कुल वसूली	अवशेष राशि(बकाया का वर्ष कब से कब तक)	अभियुक्ति
लगान	30.00	30.00	60.00	2020-2021 से 2021-2022	
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	43.50	43.50	90.00	2020-2021 से 2021-2022	
कुल	73.50	73.50	150.00	2020-2021 से 2021-2022	

तिथि- 28-08-2021

कुल बकाया-150.00

वसूल की गयी राशि शब्दों में- One Hundred Fifty Rupees

यह एक कम्पयुटर जनित प्रति है।

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायलय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है।

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,बिहार सरकार

बिहार भूमि

प्रपत्र-XIV ख
(देखें नियम-10)
लगान रसीद

ऑनलाइन
Running Unique No.: 12072210275358014134
(Receipt No.)

जिला:- **Patna**	अंचल:- **Patna Sadar**
हल्का:- **Nutan Rajdhani-2**	मौजा :- **खाजपुरा**
जमाबंदी सं0:- भाग वर्तमान:- **50** पृष्ठ संख्या:- **44**	मौजा/थाना सं0:- **8/11**
जमाबंदी रैयत का नाम:- **श्रीमती सुनीता प्रसाद** अभिभावक का नाम:- **स्व० रविनन्दन प्रसाद**	पता:- **निवासी - शिव जिला - पटना शक्ति एस ० पी ० वर्मा रोड , पोस्ट - जी ० पी० ओ० , थाना - गाँधी मैदान ,**

खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा/डिसमिल
126 , 138	1036, 1401	0 एकड़ 34.2187 डिसमील 0 हेक्टर

Without Prejudice

सालाना मांग(बकाया और वर्तमान) चालू वितीय वर्ष का

वितीय वर्ष	सालाना दर	बकाया	वर्तमान	सूद	कुल	अभियुक्ति(बकाया का वर्ष कब से कब तक)
जमाबंदी लगान	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	2022-2023 से 2022-2023
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	43.50	0.00	43.50	0.00	50.00	2022-2023 से 2022-2023
कुल	73.50	0.00	73.50	0.00	80.00	2022-2023 से 2022-2023

वसूली

वितीय वर्ष	बकाया के विरुद्ध वसूली	वर्तमान मांग के विरुद्ध कुल वसूली	कुल वसूली	अवशेष राशि(बकाया का वर्ष कब से कब तक)	अभियुक्ति
लगान	0.00	30.00	30.00	2022-2023 से 2022-2023	
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	0.00	43.50	50.00	2022-2023 से 2022-2023	
कुल	0.00	73.50	80.00	2022-2023 से 2022-2023	

कुल बकाया-80.00
वसूल की गयी राशि शब्दों में- Eighty Rupees

तिथि- 12-07-2022

यह एक कम्पयुटर जनित प्रति है।
किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।